संख्या--बी--1--786 / दस--2014

[उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-4 पत्रा.सं. 317जि.फो. / 2011]

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वित्त (आय--व्ययक) अनुभाग--1

लखनऊः दिनांक : 14 मार्च, 2014

विषयः-- आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किया जाना।

महोदय,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग--2 के शासनादेश संख्या--सी.पी.203 / 84--2--2012--सी.पी. 33 / 97, दिनांक 30 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या--सी.पी.20 / 84--2--2013--सी.पी.33 / 97, दिनांक 30 जनवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या--सी.पी.263 / 84--2--2013--सी.पी.33 / 97, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा जनपद अमेठी, शामली, सम्भल व हापुड़ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हेतु पदों का सृजन किया गया है।

2-- उपरोक्त के संबंध में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमेठी, शामली, सम्भल व हापुड़ में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अमेठी, शामली, सम्भल व हापुड़ को आहरण एवं वितरण अधिकारी आवंटित करते हुए डी.डी.ओ. कोड संख्या--2434 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3-- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि जनपद शामली में सम्प्रति कोषागार कार्यालय क्रियाशील नहीं है अतः जनपद शामली में कोषागार कार्यालय क्रियाशील होने की अवधि तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शामली के कार्यालय के आहरण एवं वितरण का कार्य मुजफ्फरनगर कोषागार से डी.डी.ओ. कोड संख्या--2436 से तथा शामली कोषागार कार्यालय क्रियाशील होने पर जनपदीय कोषागार से डी.डी.ओ. कोड संख्या--2434 द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)एवं विशेष सचिव।

संख्या--बी--1--786(1) / दस--2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य एवं रसद विभाग।
3 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी, शामली, सम्भल व हापुड़, मुजफ्फरनगर ।
6 उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग--4 .
7 वित्त (व्यय--नियंत्रण) अनुभाग--7
8 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अमेठी, शामली, सम्भल व हापुड़।
9 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।